7. राज्य का नीति के निदेशक तत्व

निदेशक तत्वों का स्रोत मूलअधिकार की तरह 1928 के नेहरू प्रतिवेदन में खोज सकते है। 1945 के तेज बहादुर सप्रू प्रतिवेदन में मूल अधिकारों को स्पष्ट रूप से दो भागों में बाटा गया था - न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा अप्रवर्तनीय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एम. राव ने भी सलाह दिया था कि व्यक्तियों के अधिकार को दो वर्गो में विभाजित किया जाय। वे जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रवृत कराया जा सके और वे जो न्यायालय द्वारा प्रवृत न कराये जा सके। उनके विचार में दूसरा वर्ग राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में था। उनका सुझाव प्रारुप समिति ने भी स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरुप निदेशक तत्व अस्तित्व में आया। निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्राप्ति है।

निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार के संबंध को लेकर न्यायालय का कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

- मिनर्वा मिल्स (1980) मामले में न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच सन्तुलन संविधान की आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल्स के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 31 ग को जोड़ने के बाद भी निदेशक तत्व को मूल अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में केवल अनुच्छेद 39 (ख) और 39(ग) को मूलअधिकार पर प्राथमिकता दी गयी है।
- केरल शिक्षा विधेयक (1959) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूलअधिकार और निदेशक तत्व के बीच समन्वयकारी सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों को प्रभावी किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

निदेशक सिद्धान्त की विशेषताएं

- यद्यपि निदेशक सिद्धान्त न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है फिर भी संवैधानिक मान्यता के विवरण में अदालत इसे देखता है।
- निदेशक सिद्धान्त का उद्देश्य 'लोक कल्याणकारी' राज्य की स्थापना करना है न कि पुलिस राज्य की।
- निदेशक सिद्धान्त अप्रवर्तनीय है अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नही कराया जा सकता है।
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के भाग-4 में (अनुच्छेद 36 से 51 तक) किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के मार्गदर्शन के लिए नीति निदेशक सिद्धान्त को संविधान में शामिल किया है। निदेशक सिद्धान्त बताता है कि राज्य नीतियों एवं कानूनों को बनाते समय इन्हें ध्यान में रखेगा।
- आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक सिद्धान्त अति महत्वपूर्ण है। दशा और दिशा के आधार पर इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है।

समाजवादी सिद्धांत

- ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में हैं। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खीचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है और जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देता हैं कि-
  - जन स्वास्थ्य और लोगों के रहन-सहन स्तर को उन्नत करना (अनुच्छेद 47)।
  - सुरक्षित करना– (अ) सभी नागरिकों के जीवनयापन का अधिकार (ब) आम वस्तुओं का पदार्थ स्रोतों के तहत समान वितरण (स) धन एवं उत्पादनो के साधनो में एकरूपता (द) समान काम के लिए पुरुष व महिला को समान वेतन (ई) कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं उपलब्धता उपलब्ध कराकर बच्चों से बलात श्रम कराने का विरोध (फ) बच्चों के विकास के अवसर (अनुच्छेद 39)।
  - बेरोजगारों, वृद्धों, विकलांगों को उचित शिक्षा अधिकार एवं जनसहयोग उपलब्ध कराना (अनुच्छेद 41)।
  - लोगों के कल्याण को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ असमानता को कम करते हुए प्रोत्साहित करना और अवसर उपलब्ध कराना (अनुच्छेद 38)।

गांधीवादी सिद्धांत

- ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं-
  - स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के उपभोग पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 47)।

- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 43)।
- ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व-सरकार की इकाई के रूप मे कार्य करने की शक्ति प्रदान करना (अनुच्छेद 40)।

नए निदेशक सिद्धांत

42वें संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक सिद्धांतों की मूल सूची में 4 सिद्धांत और जोड़े गए। उनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है-

- पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं वन्य जीवों को सुरक्षा कवच (अनुच्छेद 48A)।
- गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं समान न्याय को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 39A)
- उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों के बंटवारें को बढ़ावा एवं सुरक्षा (अनुच्छेद 43A)।
- बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39)।

उदार बौद्धिक सिद्धांत

- इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया है जो स्वतंत्रता की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं-
  - राज्य लोकसेवा कार्यकारिणी से न्यायापालिका को विभक्त करना (अनुच्छेद 50)।
  - राष्ट्रीय महत्व की घोषित धरोहरों एवं ऐतिहासिक महत्व और कलात्मक स्थानों की सुरक्षा (अनुच्छेद 49)।
  - पशु-चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूप से संगठन (अनुच्छेद 48)।
  - सभी नागरिकों को समान सिविल संहिता के तहत पूरे देश में सुरक्षा दें (अनुच्छेद 44)।

मूल अधिकारों एवं निति निदेशक सिद्धांतों के मध्य अन्तर

मूल अधिकार	निदेशक सिद्धांत
• ये नकारात्मक हैं जैसा कि ये राज्य को कुछ मसलों पर करने को प्रतिबंधित करते हैं।	• ये सकारात्मक हैं, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है।
• ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है।	• ये गैर-न्यायोचित होते हैं। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।
• इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है।	• इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
• ये कानूनी रूप से मान्य हैं।	• इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है।
• ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार वैयाक्तिक हैं।	• ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये सामाजिक हैं।
• इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वत: लागू हैं।	• इन्हें लागू रखने में एक विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वत: लागू नहीं होते।
• न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी अधिकार के हनन को वह गैर-संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे।	• किसी निदेशक सिद्धांत के हनन पर न्यायालय कोई मूल कानून की घोषणा नहीं कर सकता। हालांकि इनको प्रभावी बनाने के आधार पर इन्हें कानूनी मान्यता दिलाई जा सकती है।